न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व विविधः: 10 / 2017 ::
जीसीएमएस नं. :: 2017 / 00266

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण
हाशम खां पुत्र अब्दुल रहमान जाति तेली मुसलमान निवासी पाली (राज.) पता :– 164, नाडी मौहल्ला, पाली (राज.)		1. तीजो पत्नी रूघनाथजी जाति राईका निवासी जवडिया तहसील पाली (राज.) (द्वारा अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, पाली) 2. सरकार जरिये तहसीलदार, पाली (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी एवं सपठित धारा 151 सीपीसी
अधिवक्ता :– प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री पीएम जोशी उपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :–27.01.2021

वकील प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी के इस न्यायालय के राजस्व विविध प्रकरण संख्या 11 / 2008 हाश खां बनाम तिजो वगैरह व अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आंवटन नियमों के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनाँक 07.02.2017 को पुनः बरामद किए जाने हेतु पेश किया है। जो म्याद बाहर होने से सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया जो अनुपस्थित रहने से एकतरफा बहस अधिवक्ता प्रार्थी की सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने कथन किया कि जैर प्रार्थना पत्र प्रकरण प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड के आधार पर खारिज किया गया है नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड करने के बाद न्यायालय द्वारा प्रार्थी को उनकी सूचना प्रदान किया जाना एवं प्रकरण की जानकारी तथा नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड की जानकारी हेतु नोटिस जारी किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के लिए विधीनुसार समुचित, व आवश्यक था इसके अभाव में प्रार्थी न्याय से वंचित रहा है प्रार्थी का 9 वर्षों तक प्रकरण विलम्बित रहा तथा 9 वर्षों के पश्चात अधिवक्ता के नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड करने देने से समाप्त नहीं किया जा सकता है दिनाँक 07.02.2017 को माननीय न्यायालय द्वारा न तो प्रार्थी को आवाज दिलाई गई न ही प्रार्थी की उपस्थिति सुनिश्चित करने का प्रयास ही किया गया ऐसी स्थिति में प्रकरण अदम हाजरी में खारिज करने के आदेश विधिनुरूप नहीं है। प्रार्थी को वास्तविक रूप से एवं तात्विक रूप से सुनवाई का अवसर नहीं मिला है। तथा पारित आदेश न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से प्रार्थी विधिक अधिकारों से वंचित रहा एवं विपक्षीगण प्रक्रिया का फायदा उठाते हुए दूषित प्रक्रिया से लाभ उठाने में सफल रहे है। प्रार्थी द्वारा एक न्यायिक दृष्टांत 2015(2) RRT 968 भी प्रस्तुत कर निवेदन किया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा जैर प्रार्थना पत्र प्रकरण पुनः पुराने नम्बर पर बरामद किया जाकर गुणावगुण पर निर्णय हेतु नियत किया जावे।

वकील प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनाँक 07.02.2017 तक लम्बित रहा तब तक अप्रार्थीगण की तलबी नहीं हो सकी अप्रार्थी संख्या 2 का सही पता भी पेश नहीं किया गया है जो प्रार्थी की प्रकरण के प्रति अरूचि को इंगित करता है। प्रकरण प्रार्थी द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है तथा उन्हीं के द्वारा नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड किया गया है। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थी को रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित कर दिया गया था तथा उसकी प्राप्ति रसीद भी प्रार्थना पत्र के संलग्न पेश की गई है उसमें उसे नोटिस दिया जाना स्पष्ट है तथा प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेखित है कि प्रार्थी दिनाँक 05.02.2017 को अधिवक्ता के कार्यालय मे उपस्थित होकर पत्रावली ले गया था इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी को तारिख पेशी बाबत जानकारी थी फिर भी वह उपस्थित नहीं हुआ। उनके अधिवक्ता को न्यायालय में बुलाने पर उन्होंने उपस्थित होकर नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड किया था एवं प्रकरण को इसी आधार पर खारिज किया गया इस में किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नहीं है। वकील प्रार्थी द्वारा 2015(2) RRT 968 पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2021.03.05 19:45:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली

शेष पृष्ठ :: 2

जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा अधिवक्ता के वकालतनामा ही नहीं दिया गया था। तथा वकालतनामा नहीं देने से अप्रार्थी पक्ष की ओर से बहस व पैरवी नहीं की गई है। एवं एक तरफा निर्णय पारित किया था। इस परिस्थिति में नोटिस दिया जाना आवश्यक माना गया है। लेकिन हस्तगत प्रकरण तो प्रार्थी द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था उनके अधिवक्ता नियुक्त थे तथा 10 वर्षों से पैरवी कर रहे थे तथा प्रार्थी उनके अधिवक्ता के द्वारा नोटिस दिया गया। एवं नोटिस उसे प्राप्त होने के पश्चात वह पत्रावली दिनांक 05.02.2017 को पेशी से दो दिवस पूर्व ही ले जाने के बाद भी तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं रहा। इस स्थिति के मध्यनजर वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत इस प्रकरण में चस्पा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड करने के बाद प्रकरण खारिज किया गया जो विधीसम्मत है उक्त निर्णय दिनाँक 07.02.2017 को अपास्त किया जाकर पत्रावली के पुनः सुनवाई हेतु पुराने नम्बर पर बरामद किया जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनाँक 27.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर पाली
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:45:51 IST
Reason: SelfAttested